बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि0 संख्याः– 2/अ0प्र0–01–45/17 - 622 /पटना, दिनांक :– 27.2.24

मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 5185 दिनांक 29.07.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में कार्य प्रमंडल, छपरा–1 अंतर्गत एकरारनामा सं0–50/प0एम0जी0/2009–10 के अधीन एक ही पथ एवं पैकेज को तीन विभिन्न पैकेजों में विभक्त कर दोषपूर्ण तरीके से समयवृद्धि का प्रस्ताव समर्पित करने एवं वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने का प्रयास करने संबंधी आरोपों के लिए श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–1 सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति की तिथि–31.12.2017) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 1138 दिनांक 16.06.2020 द्वारा श्री साह से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत क्यों नहीं उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन से यथोचित कटौती कर ली जाय, के संबंध में कारण पृच्छा की गयी।

श्री साह द्वारा पत्रांक शुन्य दिनांक 15.07.2023 के माध्यम से कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से दो तथ्यों का उल्लेख किया गया– (1) पैकेज का निर्धारण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है जबकि इसके लिए उन्हें आरोपी बनाया गया है। (2) समय वृद्धि की अनुशंसा संबंधी पत्र दिनांक 13.04.2016 को निर्गत किया गया है जबकि उनके स्थानांतरण के फलस्वरूप दिनांक 01.04.2016 को ही उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का प्रभार ग्रहण कर लिया गया था।

श्री साह से प्राप्त कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर पर अभियंता प्रमुख का मंतव्य प्राप्त किया गया। अभियंता प्रमुख द्वारा मुख्य अभियंता–1 से प्राप्त मंतव्य को अनुमोदित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 5185 दिनांक 29.07.2016 से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित पत्रों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करने के उपरान्त ही उसके समीक्षोपरान्त मंतव्य देना श्रेयस्कर होगा। अतएव विभागीय पत्रांक 2066 दिनांक 03.10.2023 द्वारा उन कागजातों को उपलब्ध कराने का निदेश अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल छपरा को दिया गया।

इसी बीच श्री साह द्वारा पत्रांक शुन्य दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से पूरक कारण पृच्छा समर्पित किया गया जिसमें आरोप मुक्त करने एवं सेवान्त लाभों का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। साथ हीं अभियंता प्रमुख द्वारा समीक्षा हेतु वांछित कागजातों की छायाप्रति भी उपलब्ध कराया गया।

श्री साह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध कराये गए कागजातों की समीक्षा मुख्य अभियंता–1 से कराई गई। मुख्य अभियंता–1 द्वारा समीक्षोपरान्त यह मंतव्य दिया गया कि श्री साह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त अपने मंतव्य से अवगत कराने का अनुरोध अभियंता प्रमुख से की गई। अभियंता प्रमुख द्वारा निम्नलिखित मंतव्य दिया गया–

श्री साह द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि की गयी है एवं उनके द्वारा की गयी उक्त अनुशंसा के आलोक में समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गयी अनुशंसा के आलोक में संदर्भित पथों में

समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार मामले में वित्तीय क्षति से संबंधित तथ्य निहित नहीं है। श्री साह दिनांक 31.12.2017 को ही सेवानिवृत हो चुके है। मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटि होने एवं वित्तीय क्षति संबंधित तथ्य निहित नहीं होने के आधार पर बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल छपरा–1 सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकारात्मक माना जा सकता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की सम्यक विचारोपरान्त श्री साह के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें 'निन्दन' की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतः श्री बद्री प्रसाद साह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निन्दन (आरोप वर्ष–2016–17) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–45/17 623 /पटना, दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–45/17 623 /पटना, दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–01–45/17 623 /पटना/दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–01–45/17 623 /पटना/दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपिः– श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–2 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–फ्लैट नं.–302 हरिप्रिया अपार्टमेंट राजेन्द्र नगर, डाकघर–राजेन्द्र नगर, थाना–कदमकुँआ, जिला पटना–800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–45/17 623 /पटना/दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–45/17 623 /पटना/दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव